**संख्या-23/2019/126/पांच-6-2019-05(रिट)/2018**

**प्रेषक,**

वी0 हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

**(1) समस्त अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव/सचिव,**
उत्तर प्रदेश शासन।

**(2) महानिदेशक,**
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**(3) समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।

**(4) समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

**चिकित्सा अनुभाग-6** **लखनऊ : दिनांक 16 जनवरी, 2019**

**विषय :-** निजी चिकित्सालयों में करायी गयी चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनहित याचिका संख्या-14588/2009 स्नेहलता सिंह 'सेलेन्टा' व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 09.03.2018 को पारित आदेश के प्रस्तर-146(xi) में निम्नवत निर्देश दिये गये है :-

It shall also be ensured that all Government Officials and others who receive salary or other financial gains from Government/Public exchequer, should avail Medical Care services from Hospitals run and maintained by Government and whenever any High level officials, political Executives or other dignitaries go for treatment, Medical Officer on duty, by roster, shall attend him and there shall be no special VIP treatment. If medical care is obtained in Private Hospital etc. Government must not reimburse the same. However, if there are some kinds of diseases or ailment, treatment/cure where of is not available in Government Hospitals, and for that purpose, treatment in private becomes necessary, this condition may be relaxed but in such contingency, Government must ensure that for similar ailments and deceases if suffered by common poor people, arrangement should be made for their treatment also at Government expenses in such Private Medical Care Institutions.

उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-3387/पांच-6-2018-05(रिट)/2018, दिनांक 25.10.2018 यथा संशोधित शासनादेश संख्या-3417/पांच-6-2018-05(रिट)/2018, दिनांक 30.10.2018 तथा शासनादेश संख्या-377/2018/3893/पांच-6-2018-05(रिट)/2018, दिनांक 20.12.2018 निर्गत किये गये थे।

2- शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 09.03.2018 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-9299/2018 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम स्नेहलता सिंह 'सेलेन्टा' व अन्य दाखिल की गयी। उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका में दिनांक 11.01.2019 को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये हैं, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत है :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra

In order dated 09-03-2018 in paragraph (xi) instead of words' "*If medical care is obtained in Private Hospital etc. Government must not reimburse the same"*, the following words shall be read :

"*If medical care is obtained in Private Hospital etc. Government may reimburse the same in accordance with the relevant Rules.*"

3- मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली ने मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.03.2018 द्वारा केवल निजी चिकित्सालयों में करायी गयी चिकित्सा पर व्यय की प्रतिपूर्ति न किये जाने के आदेश को निरस्त करते हुए निजी चिकित्सालयों से करायी गयी चिकित्सा पर व्यय की प्रतिपूर्ति की पुरानी व्यवस्था नियमों के अन्तर्गत प्रदान किये जाने की सुविधा को बहाल कर दिया है। उक्त प्रस्तर के शेष आदेशों के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई दिशा-निर्देश प्रदान नहीं किये गये है।

4- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में चिकित्सा अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या-3387/पांच-6-2018-05(रिट)/2018, दिनांक 25.10.2018, यथा संशोधित शासनादेश संख्या-3417/पांच-6-2018-05(रिट)/2018, दिनांक 30.10.2018 व शासनादेश संख्या-377/2018/3893/पांच-6-2018-05(रिट)/2018, दिनांक 20.12.2018 को निरस्त करते हुए पूर्व की भांति निजी चिकित्सालयों में करायी गयी चिकित्सा की प्रतिपूर्ति नियमों के अन्तर्गत प्रदान किये जाने की सुविधा को बहाल किया जाता है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.03.2018 के प्रस्तर-146(xi) में दिये गये अन्य निर्देश यथावत रहेंगे।

भवदीया,
वी0 हेकाली झिमोमी
सचिव।

**संख्या-23/2019/126(1)/पाँच-6-19 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना, उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक (चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक (सामु0स्वा0केन्द्र/प्राथ0स्वा0केन्द्र), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
5. समस्त निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उ0प्र0।
6. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नर्वेद सिंह
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in/gp/intra